न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्याः 14/2017 अपील एल.आर.एक्ट

निजाम खां पुत्र फते खां जाति मुसलमान निवासी गुडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर ।

अपीलांट्

—बनाम—

1. सकीना
2. रखी
3. अमकु

पुत्रियां फतेखां जाति मुसलमान निवासी गुडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर

4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, कोलायत

रेस्पोन्डेन्ट्

उपस्थित :— श्री सत्यनारायण तिवाड़ी — अभिभाषक अपीलांट्
श्री हरिराम बिश्नोई — अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 3

निर्णय

दिनांकः 5.2.2019

1. यह द्वतीय अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय दिनांक 29.12.2016, जिसके द्वारा चक डाडर, तहसील कोलायत का नामान्तरकरण सं0 115 दिनांक 14.6.1965 निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार कोलायत को विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि ग्राम चक डाडर खसरा नं0 45/1 में 22 बीघा व 46 में 13 बीघा कुल 35 बीघा भूमि अपीलार्थी एवम् रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 3 के पिता फते खां पुत्र हकीम खां जाति मुसलमान साकिन गुडा तहसील कोलायत की खातेदारी की रही है । खातेदार फते खां का देहावसान होने पर सरपंच, ग्राम पंचायत गुड़ा द्वारा विरास्तन इन्तकाल सं0 115 दिनांक 14.6.65 अपीलार्थी निजामखां पुत्र फतेखां के नाम तस्दीक कर दिया । उक्त विरास्तन इन्तकाल से नाराज होकर रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 3 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत के समक्ष दिनांक 22.9.2015 को प्रथम अपील सं0 23/2016 अनवान सकीना बनाम स्टेट निजामखां इस आधार पर प्रस्तुत की गयी कि वर्ष 1965 में उनके पिता फते खां की मृत्यु होने के समय अपीलार्थीगण उनकी पुत्रियां मौजूद थी, लेकिन सरपंच, ग्राम पंचायत गुडा द्वारा केवल निजाम खां को मृतक फते खां का एक मात्र वारिस मानते हुए विरास्तन इन्तकाल स्वीकृत किया गया है, अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उक्त विरास्तन इन्तकाल निरस्त किया जावे । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा निर्णय दिनांक 29.12.2016 पारित कर अपीलार्थीगण का धारा—5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील को मियाद में होना शुमार किया तथा अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गुड़ा द्वारा स्वीकृत किया गया विरास्तन इन्तकाल सं0 115 दिनांक 14.6.65 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार कोलायत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि अपीलार्थीगण को सुनवाई व सबूत का अवसर देकर फतेखां के समस्त वारिसान की जांच करते हुए प्रकरण का 3 माह की अवधि में विधिसम्मत निर्णय पारित करें ''। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा पारित किये

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गये उक्त निर्णय दिनांक 29.12.2016 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट् के निमित सम्मन जारी कर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

4. हमने सर्वप्रथम अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। उपखण्ड न्यायालय कोलायत के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.16 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 7.3.17 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपील पेश करने हेतु निर्धारित अवधि 60 दिवस का समय कम करने के पश्चात 9 दिवस का विलम्ब हुआ है । उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में जो कारण अभिलिखित किये गये हैं, उन्हें सही मानते हुए धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलान्ट मियाद में शुमार की जाती है ।

5. अपीलांट्स के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो के बिन्दुओं को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि रेस्पोन्डेंट सं01 ता 3 द्वारा ग्राम चक डाडर के पुराना खसरा नं0 45/1 तादादी 22 बीघा व खसरा नं0 46 तादादी 13 बीघा के सम्बन्ध में अपीलान्ट के नाम से चढे इन्तकाल सं0 115 दिनांक 14.6.1965 के विरुध्द अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 22.9.2015 को लगभग 50 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गयी । इस अवधि में 12 जमाबन्दियां बन चुकी थी तथा अपीलान्ट के पास विवादित भूमि का कब्जा व काश्त है । रेस्पोन्डेंट विवादित भूमि पर अपना हक मानती है तो उन्हें दावा करना चाहिये था । प्रथम अपील में लम्बी अवधि को कन्डोन करने हेतु कोई सन्तोषप्रद कारण अपील मीमो व मियाद प्रार्थना पत्र में नहीं था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इतनी लम्बी अवधि को कण्डोन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 का हवाला दते हुए अपीलाण्ट के बहनों की अपील स्वीकार की गयी है, जबकि मुस्लिम विधि अलग है, जिसमें विरास्त इन्तकाल दर्ज होने पर पुरुष का 2/3 हिस्सा व महिला का 1/3 हिस्सा होता है । अतः उक्त अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गलत होने से निरस्त योग्य है ।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 3 ने अपनी बहस में बताया कि चक डाडर के खसरा नं0 45/1 तादादी 22 बीघा व खसरा नं0 व 46 में 13 बीघा कुल 35 बीघा भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेंट सं0 1ता 3 के पिता फतेह खां पुत्र हकीम खां के नाम से खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही थी । फतेह खां का देहान्त होने के पश्चात अपीलान्ट द्वारा विरास्तन इन्तकाल सं0 115 दिनांक 14.6.65 अकेले अपने नाम से स्वीकृत करवा लिया, जबकि मृतक फतेह खां की रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 3 तीन जीवित पुत्रियां भी मौजूद थी । रेस्पोन्डेंट को उक्त विरास्तन इन्तकाल की कोई जानकारी नहीं रही, क्योंकि सरपंच, ग्राम पंचायत द्वारा इकतरफा तौर पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है । रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 3 को विरास्तन इन्तकाल सं0 115 दिनांक 16.6.65 अकेले निजामखां के नाम दर्ज होने की जानकारी होने पर नकल प्राप्त की जाकर इनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है । अधीनस्थ न्यायालय ने धारा–5 के मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को पर्याप्त कारण के आधार पर मियाद में माना है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। रेस्पोन्डेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील में अपीलान्ट स्वयं दिनांक 6.6.2016 को उपस्थित हुआ है, किन्तु उसके पश्चात वह स्वयं अथवा उसका विधिक प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रकरण में मृतक फतेहखां के वारिसान की जांच

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

करते हुए सकीना वगैरह को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार कोलायत को रिमाण्ड किया गया है, जो सही है । अभिभाषक रेस्पोन्डेंट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2006(2) पेज 1112 अवलोकनीय बताते हुए अपील अपीलान्ट निरस्त करने हेतु निवेदन किया ।

7. हमने अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपील में लिये गये आधार के सम्बन्ध में न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार है :–

I. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में प्रथम आधार यह लिया है कि " प्रथम अपील में लम्बी अवधि को कन्डोन करने हेतु कोई सन्तोषप्रद कारण अपील मीमो व मियाद प्रार्थना पत्र में नहीं था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इतनी लम्बी अवधि को कण्डोन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है "। जबकि रेस्पोन्डेंट अभिभाषक का कथन है कि ग्राम डाडर का विरास्तन इन्तकाल सं0 115 दिनांक 14.6.65 अपीलान्ट निजामखां द्वारा अकेले अपने नाम से इकतरफा तौर पर स्वीकृत करवा लिया, जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं रही एवम जानकारी से अपील मियाद में पेश की गयी । न्यायालय के अनुसार विलम्ब के लिए समयावधि का महत्व न होकर स्पष्टीकरण ही स्वीकार्यता का मापदण्ड होता है। विलम्ब के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित सिध्दान्त के अनुसार प्रकरण गुणावगुण पर मजबूत होता तो उसे केवल मियाद के आधार पर निर्णीत नहीं करना चाहिये । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने देरी के कारणों को पर्याप्त मानकर प्रथम अपील को समावधि के अन्दर मानी है, उसमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

II. अपीलान्ट ने अपील में गुणावगुण के सम्बन्ध में द्वितीय आधार यह लिया है कि " अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 का हवाला दते हुए अपीलाण्ट के बहनों की अपील स्वीकार की गयी है, जबकि मुस्लिम विधि अलग है, जिसमें विरास्त इन्तकाल दर्ज होने पर पुरुष का 2/3 हिस्सा व महिला का 1/3 हिस्सा होता है। अतः उक्त अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गलत होने से निरस्त योग्य है "।

III. अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा गुणावगुण पर लिये गये आधार के सम्बन्ध में रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रकरण में ग्राम डाडर तहसील कोलायत के विरास्तन इन्तकाल सं0 115 से नाराज होकर फतेखां की पुत्रियां रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 3 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत के समक्ष प्रथम अपील सं0 23/2016 अनवान सकीना वगैरह बनाम स्टेट निजामखां प्रस्तुत होने पर उपखण्ड न्यायालय द्वारा विरास्तन इन्तकाल सं0 115 दिनांक 14.6.65 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार कोलायत को फतेखां की पुत्रियां सकीना वगैरह को सुनवाई व सबूत का अवसर देकर फतेखां के समस्त वारिसान की जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण इस आधार पर रिमाण्ड किया गया कि किसी खातेदार की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी जायदाद किसी वसीयत के बिना छोड़ कर जाता है तो इस पर धारा–40 राज0 काश्तकारी अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे और इसी दृष्टि से मृतक खातेदार के समस्त वारिसान को मृतक की जमीन में बहिस्सा बराबर कानूनन मिलेगा । जबकि अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि मुस्लिम विधि अलग (Different) है, जिसमें विरास्त इन्तकाल दर्ज होने पर पुरुष का 2/3 हिस्सा व महिला का

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1/3 हिस्सा होता है । हम अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में व्यक्त किये गये इस कथन से सहमत हैं कि उक्त प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय कोलायत द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 का उल्लेख करते हुए मृतक खातेदार के समस्त वारिसान को मृतक की जमीन में बहिस्सा बराबर कानूनन मिलेगा, के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । जबकि उक्त प्रकरण में मुस्लिम विधि के अनुसार विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज होना है । अतः उपखण्ड न्यायालय कोलायत द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.16 मुस्लिम विधि अनुसार पारित नहीं किया जाने से यह अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुए उपखण्ड न्यायालय, कोलायत द्वारा जारी किया गया अपीलाधीन आदेश 29.12.16 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार कोलायत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड (Remand) किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई एवं सबूत का विधिवत अवसर प्रदान कर मृतक फतेखां के समस्त वारिसान की जांच कर प्रकरण में विवादित भूमि ग्राम डाडर के सम्बन्ध में पूर्व में निजामखां के नाम से किये गये विरास्तन इन्तकाल सं0 115 के स्थान पर समस्त कानूनी वारिसान के नाम नियमानुसार मुस्लिम विधि के अनुसार विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे ।

8. तद्नुसार अपील निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 5.2.2019 लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर ।